Deg-2
HIST (Hons) P-III

प्रान्तीय न्याय व्यवस्था, प्रान्त एवं सेना

प्रान्तों में चार प्रकार के न्यायालय थे।

1. वली न्यायालय (ii) काजी-ए-सूबा का न्यायालय - यह दीवानी या फौजदारी दोनों मुकदमे सुनता था तथा गवर्नर या वली के निम्न स्तर का था।

(iii) दीवान-ए-सूबा - जो भू-राजस्व के मामले देखते थे इनका कार्य क्षेत्र सीमित था।

(iv) सद्र-ए-सूबा - यह फौजदारी मामले सुनता था इसका कार्य क्षेत्र भी सीमित था।

प्रान्त :-

गुलाम वंश के सुल्तानों की शासन व्यवस्था थी। व्यवस्था विकेन्द्रीकृत शासन व्यवस्था थी। राज्य को ~~सैनिक~~ सैन्य इकाइयों में बाँटा गया था जिन्हें इक्ता कहा जाता था। इक्ता का वही अर्थ है जो राजपूत काल में सामन्त का था। इक्ता के अधिकारियों को मुक्ति कहा जाता था जिनके अधिकार सूबेदारों के समान थे। इस काल के प्रमुख इक्ता थे - मण्डावर, अमरोहा, सम्भल, बदायूँ, बारां, कोइल, अवध, कड़ा, मानिकपुर, बयाना, ग्वालियर, नागपुर, हाँसी, मुल्तान, उच्छ, लाहौर, सामन, सुनाम, कुहराम, भटिण्डा और सिन्ध। मुक्ति केवल सुल्तान की प्रभुसत्ता स्वीकार करते थे लेकिन व्यवहार में वे स्वतंत्र थे।

Scanned with CamScanner

खलीसा → इक्ता के अतिरिक्त कुछ ऐसे भी थे जिनका प्रशासन केन्द्र सरकार द्वारा चलाया जाता था। इन्हें खलीसा कहा जाता था।

सेना :-

सेना सुल्तान की स्थिरता का मूल आधार थी। सुल्तान भी अपनी अंगरक्षकों में सर ए-जानदार, था। सुल्तान मुख्यतः इक्तेदारों की सेना पर निर्भर करता था। सेनापति को आरिज ए-मामलिक कहा जाता था। गुलाम अधिकांश सैनिक और सैन्य अधिकारी गुलाम होते थे जैसे - मुइज्जी गुलाम, शम्मी गुलाम, सेना को मजबूत बनाने में दीवान ए - आरिज कहा जाता था। सेना में दो प्रकार के सैनिक होते थे - पहले तो वे जो जेहाद करते थे और दूसरे वे जो स्वयंसेवी सैनिक होते थे जो अपने साथ अपने घोड़े और हथियार लाते थे। बलबन सुल्तान सर्वोच्च सेनापति होता था। बलबन के समय तक स्थायी सेना की व्यवस्था नहीं थी। बलबन ने प्रथम बार एक स्थायी सेना संगठित की।